न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, जनपद श्रावस्ती।

Criminal Misc. Cases 105/2026

किशोरी ———बनाम—— आनन्द आदि

दिनांक 10—07—2026

पुकार पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 21—07—2026 को पेश हो।

(अवनीश गौतम)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
जनपद श्रावस्ती।

दिनांक 21—07—2026

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते आदेश नियत है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर सुना जा चुका है।

आवेदक की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मय शपथ पत्र विरूद्ध विपक्षीगण आनन्द आदि इन कथनों का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी अनुसूचित जाति धोबी है। दिनांक 19—06—2026 को समय करीब 4 बजे विपक्षी संख्या 1 प्रार्थी के घर आकर अपने खेत मे काम करने के लिए कहा प्रार्थी ने कहा कि आज गांव मे शादी है कल आकर आपके खेत मे काम कर दूंगा। इसी बात से नाराज होकर सभी विपक्षीगण आये और प्रार्थी को धोबी साले मादरचोद की गाली देते हुए घर में घुस आये और प्रार्थी को लाठी डण्डो से मारने पीटने लगे। प्रार्थी की भतीजी रिचा और प्रार्थी की चाची फूलमती बचाने आई तो उन्हें भी गालियां देते हुए मारा पीटा तथा जान से मारने की धमकी दी। विपक्षीगण के मारने से प्रार्थी तथा प्रार्थी की भतीजी और प्रार्थी की चाची को जाहिरा व अन्दरूनी चोटे आई है जिनका इलाज संयुक्त जिला चिकित्सालय जनपद श्रावस्ती मे कराया। घटना की सूचना थाने पर दिया पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा परन्तु कोई कार्यवाही नही हुई। तदनुसार विपक्षीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की याचना की गयी।

आवेदक द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची बी 5 के माध्यम से आधार कार्ड

की फोटो प्रतियां, पुलिस अधीक्षक को भेज गये पत्र की फोटो प्रति, रजिस्टी रसीद, आउट पेशेंट कार्ड की फोटो प्रति, एक्सरे प्लेट इत्यादि व अन्य सूची से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी अनुसूचित जाति के लिए जारी जाति प्रमाण पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत किया है। उक्त जाति प्रमाण पत्र में आवेदक को धोबी जाति का बताते हुए उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है। प्रस्तुत किया है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया।

आवेदक जो अनुसूचित जाति का सदस्य है, के कथनानुसार उसे व उसकी भतीजी व चाची को मात्र खेत पर काम करने से मना करने पर विपक्षीगण द्वारा उसके घ ार में घुसकर मारा पीटा गया, जातिगत गालियां दी गयी तथा जान से मारने की धमकी दी गयी। इस प्रकार, आवेदक द्वारा किये गये कथनों तथा उसके द्वारा दाखिल अभिलेखीय साक्ष्यों के अवलोकन से इस संज्ञेय अपराध सम्बन्धी मामले की विवेचना पुलिस के माध्यम से कराया जाना विधि सम्मत है क्योंकि, इस प्रकरण में विवेचना के दौरान नये तथ्यों के प्रकाश में आने की भी सम्भावना है। अतः उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाता है। थानाध्यक्ष, सिरसिया जनपद श्रावस्ती को आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों के प्रकाश में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिनुसार विवेचना की कार्यवाही प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें।

(अवनीश गौतम)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,
जनपद श्रावस्ती।